(8)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

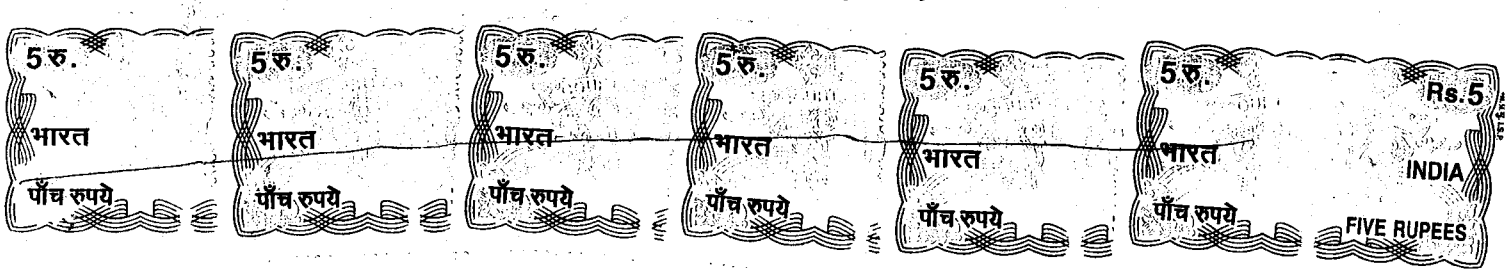

तेजप्रताप सिंह तनय श्री रामकुमार सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम खड्‌डा तहसील सेमरिया जिला रीवा (म.प्र.) ——**निगरानीकर्ता/आवेदक** Rs.30

R 5528/II/16

बनाम

1. श्रीमती ठकुरी सिंह बेवा पत्नी श्री रामविश्राम सिंह उम्र 75 वर्ष
2. जीवनदास सिंह तनय श्री रामविश्राम सिंह उम्र 50 वर्ष
3. रामपाल सिंह तनय श्री रामविश्राम सिंह उम्र 45 वर्ष
4. राजबहादुर सिंह तनय श्री रामविश्राम सिंह उम्र 45 वर्ष
5. अरूण सिंह तनय श्री रामविश्राम सिंह उम्र 38 वर्ष

सभी निवासी ग्राम बरा तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

अधिवक्ता श्री के. पी. तिवारी, द्वारा प्रस्तुत 14-12-16

————**गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण**

(मुहर) राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 4/अ–70/16–17 आदेश दिनांक 28.11.16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

<u>प्रमाण के संक्षिप्त तथ्य :–</u>

K P Tiwari Ad.

गैर निगरानीकर्ता द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 प्रस्तुत कर निगरानीकर्ता द्वारा अपने स्वत्व अधिपत्य की आराजी नंबर 1215/1/2 रकवा 0.041 हे0 स्थित ग्राम अनन्तपुर ज0नं0 28 पटवारी हल्का बोदा 24 रा.नि.म. रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा(म.प्र.) मे किये जा रहे है। मकान निर्माण को रोके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5528–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–4–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 4/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28–11–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आराजी खरा कमांक 1215/1/2 रकवा 0.041 हे0 भूमि पर अवैध निर्माण कार्य को रोके जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार हुजूर द्वारा आदेश दिनांक 28–11–16 को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। चूंकि तहसीलदार द्वोनों पक्षों को सुनवाई करने के उपरांत प्रकरण में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिये हैं जिनमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक आवेदक द्वारा उठाये गये तर्कों का प्रश्न है आवेदक अपने उक्त तर्कों को तहसीलदार के समक्ष अंतिम निराकरण के पूर्व रख सकते हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	